

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, झालावाड़

प्रकरण स0/13/19/प्रा0पत्र रेस्टोरेशन

भंवरजी आ0 भागचन्द मीणा निवासी खरेडिया तहसील मनोहरथाना

बनाम

हेमराज आ0 भागचन्द जाति मीणा निवासी खरेडिया तहसील मनोहरथाना वगैरह

दिनांक हुक्म	कार्यवाही	
26.12.19	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थी उपस्थित अप्रार्थी नं0 1 बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहा प्रकरण में एक तरफा कार्यवाही करते हुवे बहस विद्वान वकील प्रार्थी सुनी गई पत्रावली का अवलोकन किया गया प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों के मध्यनजर एवं न्यायहित में रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र ऑन कॉस्ट रू0 200/-स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी कॉस्ट राशि रू0 200/-राज कोष में जमा करावें। निर्णय खुले न्यायालय में लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली बाद तामील तकमील संलग्न मूल प्रार्थना पत्र हो।</p>	

